कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ

पत्रांकःप–18 / एफएस–19

दिनॉक मई, 14, 2019

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (अना0प्र0पत्र)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (पंचम)
लखनऊ ।

विषयः– मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड)तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ, में प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– आप का पत्रांकः332 / आब0 लि0 / एन0ओ0सी0 / 19, दिनॉक 01.05.2019 ।

कृपया उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के मानचित्र का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर द्वारा कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

01– प्रस्तावित स्थल 12 मीटर चौडे रोड पर स्थित है , अग्निशमन के समस्त वाहन जा सकते है ।
02– परिसर का प्लाट एरिया 2025.00 वर्ग मीटर है ।
03– प्रस्तावित फिलिंगस्टेशनके परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 15–15 मीटर चौडाई के 02 मार्ग (प्रवेश / निकास) मानचित्र में प्रस्तावित है ।
04– प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर 15 के0एल0 क्षमता का एम0एस0 का एक भूमिगत टैंक व 20 के0एल0 क्षमता का एच0एस0डी0 का 02 भूमिगत टैंक प्रस्तावित है ।
05– प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन पर 03 आउटलेट लगाया जाना प्रस्तावित है ।
06– प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन के तीन तरफ 1.20 मीटर ऊँची ब्रिक वाल से घेरा जाना प्रस्तावित है।
07– प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत की ओवर हेड लाईन नही गयी है ।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था –

01– प्रत्येक आउटलेट के पास 06 के0जी0 क्षमता के 02 अदद ए0बी0सी0 / डी0सी0पी0 फायर एक्स0 रखे जाए ।
02– सेल्स रूम के पास 6 के0जी0 क्षमता का एक अदद ए0बी0सी0 / डी0सी0पी0 व 04.5 के0जी0 क्षमता का सी0ओ0टू0 फायर एक्स0 रखे जाए ।
03– लुब्रीकेन्ट रूम के पास 09 लीटर पानी के क्षमता का 02 अदद फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए।
04– पेट्रोल / डीजल डिक्टेसन के पास 6 के0जी0 क्षमता का 02 अदद ए0बी0सी0 / डी0सी0पी0 व 09 लीटर क्षमता का फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए ।
05– परिसर में फायर प्वांट बनाकर 02 अदद फायर बकेट स्टैण्ड मय 04–04 बाल्टी रखे जाय ।
06– परिसर में डी0जी0 सेट के पास 09 लीटर क्षमता का फोम टाईप फायर एक्स0 रखे जाए ।
07– परिसर में 50 लीटर क्षमता का एक फोम टाईप का फायर एक्स0 रखा जाए ।
08– परिसर में धुम्रपान निषेद्य का बोर्ड लगाया जाय ।
09– परिसर में लखनऊ जनपद के समस्त फायर स्टेशनों का टेलीफोन नम्बर एक पटिट्का पर लिखवाकर सदृष्य स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा ।
10– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर ओ0आई0एस0डी0 मानको का एवं पेट्रोलियम एक्ट एवं रूल्स का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11– फिलिंग स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरण को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।

उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर की संस्तुति के आधार पर भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड) तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ में फिलिंग स्टेशन स्थापित किए जाने हेतु इस निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है कि रिटेल आउटलेट प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था का अग्निशमन विभाग से सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें ।

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि

01– अग्निशमन अधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
02– मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा खसरा संख्या–268 ग्राम–धावापुर, (बनी मोहनलालगंज रोड)तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ।

For And on behalf of
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
Attorney
Suraj Pratap
17/9/19